

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती बृजबाला पाठक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि गणगौरी बाजार, जयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 09.09.1968 ने दिनांक 16.08.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 30.11.2019 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्रीमती बृजबाला पाठक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, गणगौरी बाजार, जयपुर, प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.11.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती बृजबाला पाठक के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018/ 276

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-18-10-19

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्या राउमावि गणगौरी बाजार, जयपुर
7. श्रीमती बृजबाला पाठक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि गणगौरी बाजार, जयपुर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि चावण्डिया कलां, पाली जिनकी जन्म तिथि:- 14.01.1961 ने दिनांक 30.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.01.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः सुरेश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि चावण्डिया कलां, पाली, प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते है । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.01.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री सुरेश कुमार के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018/ 277

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-18-10-19

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्या राउमावि राउमावि चावण्डिया कलां, पाली
7. श्री सुरेश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि राउमावि चावण्डिया कलां, पाली
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री पृथ्वीराज राव, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धनवा, बाडमेंर जिनकी जन्म तिथि:- 15.01.1960 ने दिनांक 01.10.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.2019 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री पृथ्वीराज राव, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि राउमावि धनवा, बाडमेंर, प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाए पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते है । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री पृथ्वीराज राव के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018/278

दिनांक-18-10-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्या राउमावि राउमावि राउमावि धनवा, बाडमेंर
7. श्री पृथ्वीराज राव, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि राउमावि राउमावि धनवा, बाडमेंर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर